



2026:RJ-JP:21888

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 105/2025

Chauthmal S/o Rampal

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : मि. सोनिया गिल
For Respondent(s) : श्री अमित गुप्ता, लोक अभियोजक
श्री विजय कुमार जांगिड़

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

23-09-2025

याची की ओर से यह निगरानी याचिका विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई दाण्डिक अपील निरस्त होने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई थी, परन्तु याची/अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष समर्पण नहीं किया गया है ।

इस संबंध में कार्यालय द्वारा निगरानी याचिका की पत्रावली में राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 311 की पालना नहीं किए जाने के संबंध में आक्षेप इंगित किया गया है ।

योग्य अधिवक्ता याची को निर्देशित किया जाता है कि वे याची/अभियुक्त को विचारण न्यायालय के समक्ष चार सप्ताह की अवधि में समर्पण करवा कर इस आशय का अभिरक्षा अवधि प्रमाण पत्र अथवा विचारण न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें ।

पत्रावली चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J